संख्या:49 /2018/1371जेएल/22-3-18-800(42)/2011

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनाक: 05 जुलाई, 2018***

विषय- जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध बंदी बच्चूलाल वर्मा पुत्र श्री राम शब्द वर्मा, निवासी-ग्राम-शेखपुरा कटरिया, थाना-कोतवाली अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर को दिनांक 15-07-2018 को निर्धारित पुत्री के विवाह हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973(1974 का एक्ट संख्या-2) की धारा-432 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय **जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध बंदी बच्चूलाल वर्मा पुत्र श्री राम शब्द वर्मा, निवासी-ग्राम-शेखपुरा कटरिया, थाना-कोतवाली अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर को दिनांक 15-07-2018 को निर्धारित पुत्री के विवाह हेतु पुलिस अभिरक्षा में 07(सात) दिन के पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन)** पर कारागार से छोड़े जाने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ देते है कि बंदी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि में शांति बनाये रखने तथा अच्छे चाल-चलन रखने और पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि समाप्त होने पर जेल में वापस जाने के लिए आपकी संतुष्टि के अनुसार दो जमानतों सहित एक निजी मुचलका दाखिल करे तथा बंदी के विरूद्ध अन्य कोई मुकदमा किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो तथा बंदी का जेल आचरण संतोषजनक हो। पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि को बंदी द्वारा काटी गयी सजा में नही जोड़ा जायेगा।

2- यदि बंदी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) समाप्त होने पर नियत तिथि को जेल में हाजिर न हो तो बंदी तथा उसके जमानतदारों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय।

3- बंदी को यह स्पष्ट कर दिया जाय कि यदि वह स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि समाप्त होने पर निर्धारित दिनांक को जेल में वापस नही आता है तो उसके विरूद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह भविष्य में एक निश्चित अवधि अथवा सदा के लिए परिहार तथा पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पाने का अधिकारी न होगा।

4- कृपया इस आदेश की प्राप्ति की सूचना तुरन्त दें।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या:49 /2018/1371जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि बंदी के पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर रिहा किये जाने तथा बंदी के द्वारा जेल में हाजिर होने की तिथि से शासन तथा महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 को रेडियोग्राम द्वारा उसी दिन अथवा अधिकतम अगले दिन अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in